

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत सहायक जज मुकाम जयपुर

समयादि बनाम समयादि करी


किस्म मुकदमा स.स. 111, 120 RERA/2021 सन् 2021


| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 29/06/2021 | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>खेतारिपु जालुस</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 120 RERA</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। सिप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>16/08/2021</u> को पेश हो।</p> | |
| 16/08/2021 | <p>प्रार्थी वकील उपरोक्त/विप्रार्थी-जनों के नोटिस तामिल क्रम तामिल क्रियापत्र/इलजाट दोडर पत्रावली दिनांक <u>20/10/2021</u> को पेश हो।</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>सहायक जज (SDO) जयपुर</p> |
| 20/10/2021 | <p>प्रार्थी वकील उपरोक्त/विप्रार्थी-जनों के नोटिस तामिल शुद्धा जालुस जिसे शामिल पत्रावली क्रियापत्र/इलजाट दिनांक <u>08/02/2022</u> को पेश हो।</p> | |

08/02/2022


प्राची वहील उपरिपत्र / विभागीय,
 बाबजुद शामिल अनुपपरिपत्र / न्यायालय समक्ष
 तीन बार काकाज लगाई गईं संश्लेष काकाज
 5.45 pm पर लगाई गईं विभागीय स्वयं
 मा उनही मोर से होई दक्षिणतया मा
 समझावतु होई उपरिपत्र नही हुआ लिखाया
 विभागीयों के विरुद्ध एडलतमा इतनेवाही
 समय से लाई जाली है कल, वाक्ये वदम
 पभावली दिनांक - 23/03/2022 को पेश है।

अज अ
 तारीख हुक्म
 23/03/2022


 सहायक कलक्टर
 (SPO) जायतु



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज | नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|-------------|---|--|
| 23/03/2022 | <p>प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित / प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कमिश्नर (SDO) बायतु </p> | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 145
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : - 23/03/2022
विप्रार्थीगण

1. अमराराम पुत्र दलाराम,
जाति जाट, निवासी अमरजी की ढाणी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)


1. नारणाराम पुत्र गुलाराम वगैरा 64,
जाति जाट, निवासी अमरजी की ढाणी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 184 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - अमरजी की ढाणी, पटवार मण्डल - सवाऊ पदमसिंह, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 425, 433 रकबा क्रमशः 3.7312, 10.3518 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक / वाद / 2022 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अमराराम पुत्र दलाराम,
4. विप्रार्थी श्री नारणाराम पुत्र गुलाराम वगैरा 64,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड (अधिकारी) बायतु
दिनांक:-

सहायक/कराक्टर
उपखण्ड (अधिकारी) बायतु
(SDO) गिड़ा